न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः–गौरव कुमार मित्तल (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
12/2022	19.05.2022	8/1/2026

1. प्रेमलता पुत्री माधोलाल उम्र 80 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी पीपलवाडा तहसील सवाई माधोपुर हाल निवासी मकान नं0 84 संगम विहार बून्दी रोड कोटा

अपीलान्टस्

कार्यालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी पॉचोलास हाल निवासी पीपलवाडा तहसील सवाई माधोपुर।
2. ग्राम पंचायत रवांजना चौड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, रवांजना चौड तहसील सवाई माधोपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

रेस्पो0

<u>अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 25.10.81 ग्राम पंचायत रवांजना चौड तहसील सवाई माधोपुर नामान्तकरण संख्या 44 राजस्व ग्राम पीपलवाडा तहसील सवाई माधोपुर।</u>

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एड0 अपीलांटस की ओर से।
2. श्री कमलेश कुमार जैन एड0 रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से।

:– निर्णय –:

अपीलान्टस ने जरिये वकील एक अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 25.10.81 ग्राम पंचायत रवांजना चौड तहसील सवाई माधोपुर नामान्तकरण संख्या 44 राजस्व ग्राम पीपलवाडा तहसील सवाई माधोपुर पेश की जिसका विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक माधोलाल पुत्र रामचन्द्र केविधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही अधिकार ... वारिसके नाम से नामान्तकरण दर्ज करने में अहम् कानूनी भूल की है जबकि अपीलान्ट मृतक माधो की एक मात्र विधिक वारिस अपीलान्ट मौजूद होते हुए भी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से निर्णय पारित करने में अहम् कानूनी भूल की है। विवादग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक किया उस समय माननीय न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 92/81 उनवानी प्रेमलता बनाम सरपंच ग्राम पंचायत रवांजना चौड के नाम से विचाराधीन थी, जिसका निर्णय दिनांक 09.11.82 को हो गया था, माननीय न्यायालय ने ग्राम पंचायत रवांजना चौड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

FORM No. III

मु.न.:- 12/2022 उनवान:- प्रेमलता बनाम मोतीलाल वगै0 कि0मु0:- अपील नामान्तकरण

निर्णय दिनांक 28.08.81 को निरस्त करते हुए पत्रावली ग्राम पंचायत को रिमाण्ड की गई थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने आज तक माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना नही की गई। अपीलान्ट ने अपने पिता का समस्त क्रियाकर्म हिन्दू धर्म के अनुसार अपने पुत्र विनोद द्वारा सम्पन्न करवाये थे। रेस्पोडेन्ट संख्या एक अपीलान्ट के परिवार का सदस्य भी नहीं है। रेस्पोडेन्ट पाँचोलास का स्थाई निवासी होते हुए भी अपीलान्ट के पिता का फर्जी दत्तक पुत्र बनकर अपीलान्ट के स्वामित्व की कृषि भूमि को हडपने के लिये प्रयासरत है। अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस भी जारी नही किया, एवं मृतक के विधिक वारिसानों की जांच भी नहीं की गई, इसलिये अधिनस्थ न्यायालय आदेश एक पक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.81 की सर्वप्रथम जानकारी जमाबन्दी की नकल दिनांक 05.04.22 को लेने पर एवं राजस्व अभिलेख की तलाश करने पर विवाद ग्रस्त नामान्तकरण की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने दिनांक 05.04.22 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी की दिनांक से अन्दर म्याद एवं निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। अधिनस्थ न्यायालय आदेश इल्लीगल इम्प्रोपर व इनकरेक्टहोने से निरस्त किये जाने योग्य है । तहसीलदार, सवाई माधोपुर लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया जा रहा है। अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अन्य उज्रात वरवक्त बहस जुवानी वाद मिशल मुआयना अर्ज किये जावें । अतः श्रीमान् जी की सेवामें अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रवांजना चौड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.81 को अपास्त फरमाया जाकर राजस्व ग्राम पीपलवाडा तहसील सवाई माधोपर के नामान्तकरण संख्या 441 के कॉलम नं0 5 में दर्ज इन्द्राज मृतक माधोलाल पुत्र रामचन्द्र ब्राहमण की एक मात्र विधिक वारिस अपीलान्ट होने के कारण अपीलान्ट के नाम से दर्ज की जावें। आपकी कृपा होगी।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की जरिये नोटिस तलबी की गयी। रेस्पो0 जरिये वकील उपस्थित होकर रेस्पो0 संख्या 2 ने अपील प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसमे [illegible] को अस्वीकार कर विशेष विवरण में बताया है कि उपरोक्त नामांतकरण 441 र[illegible] पीपलवाडा की ग्राम पंचायत रवांजना चौड द्वारा खोले गये नामांतकरण [illegible] आज वर्तमान ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं [illegible] नहीं जा सकता की किन आधारों पर उपरोक्त नामांतकरण खोला गया है [illegible] उसकी पत्रावली पूर्व सरपंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त नामांतकरण खोला गया होगा जिसकी समस्त एवं किसी भी प्रकार की जानकारी आज ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच एवं सचिव को उक्त नामा0 की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए उपरोक्त नामांतकरण की अपील सारहीन है। इसलिए उपरोक्त अपील अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

की मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे। अतः जबाब रेस्पोडेंट नं 12 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश करने की कृपा करे।

प्रकरण में वकील अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक माधोलाल पुत्र रामचन्द्र के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना फर्जी वारिस के नाम से नामान्तकरण दर्ज करने में अहम् कानूनी भूल की है। अपीलान्ट मृतक माधो की एक मात्र विधिक वारिस अपीलान्ट मौजूद होते हुए भी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से निर्णित पारित किया गया है। विवादग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक किया उस समय इस न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 92/81 उनवानी प्रेमलता बनाम सरपंच ग्राम पंचायत रवांजना चौड के नाम से विचाराधीन थी, जिसका निर्णय दिनांक 09.11.82 को हो गया था, इस न्यायालय ने ग्राम पंचायत रवांजना चौड के निर्णय दिनांक 28.08.81 को निरस्त करते हुए पत्रावली ग्राम पंचायत को रिमाण्ड की गई थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने आज तक माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना नही की गई। अपीलान्ट ने अपने पिता का समस्त क्रियाकर्म हिन्दू धर्म के अनुसार अपने पुत्र विनोद द्वारा सम्पन्न करवाये थे। रेस्पोडेन्ट संख्या एक अपीलान्ट के परिवार का सदस्य भी नहीं है। रेस्पोडेन्ट पाँचोलास का स्थाई निवासी होते हुए भी अपीलान्ट के पिता का फर्जी दत्तक पुत्र बनकर अपीलान्ट के स्वामित्व की कृषि भूमि को हडपने के लिये प्रयासरत है। अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस भी जारी नही किया, एवं मृतक के विधिक वारिसानों की जांच भी नहीं की गई, इसलिये अधिनस्थ न्यायालय आदेश एक पक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 के वकील ने अपनी बहस बताया कि रेस्पो0 संख्या 1 माधोलाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण का दत्तक पुत्र है। यह बात सही है कि माधोलाल पुत्र रामचन्द्र की पुत्री अपीलांट है परन्तु अपीलांट द्वारा माधोलाल सेवा नही की ब्लकि रेस्पो0 द्वारा ही माधोलाल की सेवा की तथा मृत्यु के पश्चात सारे कियाकम रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा ही की गयी है। माधोलाल द्वारा एक वसीयत अपनी पुत्री के नाम की थी परन्तु माधोलाल की सेवा आदी नही करने तथा उसको सार सभाल नही करने के कारण उस वसीयत को रद्द कर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम वसीयत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माधोलाल की सम्पत्ति का उत्तराधीकार रेस्पो0 संख्या 1 को ही माना है। [illegible] विवादित नामान्तकरण खोला गया है। वर्तमान में अपीलार्थी के मन [illegible] लाभ [illegible] जाने के कारण गलत तथ्यो को आधार बनाकर यह अपील पेश की है जो [illegible] है। अतः उक्त अपील को खारिज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:03:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलांट ने उक्त अपील नामान्तकरण संख्या 441 दिनांक 25.10.81 ग्राम पंचायत रवांजना चौड के विरूद्ध पेश की है। अपीलांट का कथन है कि उक्त अपील मृतक माधोलाल पुत्र रामचन्द्र के विधिक

कार्यालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वारिसानों की जांच किये बिना ही नामान्तकरण दर्ज किया है जबकि अपीलान्ट मृतक माधोलाल की एक मात्र विधिक वारिस होते हुए भी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से निर्णिय पारित करने में अहम् कानूनी भूल की है। विवादग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक किया उस समय इस न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 92/81 उनवानी प्रेमलता बनाम सरपंच ग्राम पंचायत रवांजना चौड के नाम से विचाराधीन थी, जिसका निर्णय दिनांक 09.11.82 को हो गया था, इस न्यायालय ने ग्राम पंचायत रवांजना चौड के निर्णय दिनांक 28.08.81 को निरस्त करते हुऐ पत्रावली ग्राम पंचायत को रिमाण्ड की गई थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने आज तक इस न्यायालय के निर्णय की पालना नही की गई। रेस्पो0 संख्या 1 का कथन है कि वह मृतक माधोलाल पुत्र रामचन्द्र का दत्तक पुत्र है तथा उसके नाम ही माधोलाल द्वारा वसीयत की गयी है जिस कारण यह नामान्तकरण खोला गया है। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.11.1982 की अभी तक पालना नही हुयी है तथा उक्त नामान्तकरण खोलते समय केवल एक ही पक्ष को सुना गया है जो गलत है ना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माधोलाल के जीवत वारिसानो के बारे में जॉच की गयी है तथा विवादित आराजीयात पर कब्जे सम्बन्धित भी जॉच नही की गयी है। नामान्तकरण का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तकरण कोरम की मिटिंग में पेश नही किया गया है यदि पेश किया जाता तो नामान्तकरण में कोरम की मिटिंग का उल्लेख अवश्य होता। उक्त कारणो से अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 441 दिनांक 25.10.81 ग्राम पंचायत रवांजना चौड खारिज किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 441 दिनांक 25.10.1981 में जो आराजीयात मृतक माधोलाल के नाम दर्ज है उस पर मृतक माधोलाल पुत्र रामचन्द्र के विधिक वारिसानो की जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक किया जावें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को भिजवायी जावें। निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हो।

Signature Not Verified

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 16:03:53 IST
Reason: SelfAttested